# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
# जिला चित्तौडगढ

**पीठासीन अधिकारी श्रीमती अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या/27/2021 प्रार्थना पत्र — दायर दिनांक 03.09.2021

**उनवान**

1. बद्रीलाल पिता नाथुलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. रामेश्वर पिता नाथुलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——प्रार्थीगण

**बनाम**

1. उदयराम पिता गेगा जाति भील आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——अप्रार्थी

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री मांगीलाल बैरवा — –प्रार्थीगण
एकतरफा — –अप्रार्थीगण

**—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 :—**

निर्णय दिनांकः 16.01.2024

**—:निर्णयः—**

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा तुर्किया कलां तहसील कपासन के अन्दर हल्के बैरूनी में स्थित हैं। जिसके हाल आराजी संख्या 1634/861, 855, 860 कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 है0 स्थित है सिबुत के लिए नकल चालु जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

यह कि हम प्रार्थीगण अपनी आराजीयात पर आने जाने हेतु आराजी नं0 139 जो कि रतनलाल, राजकुमार पिता मिठुलाल लोहार की आराजी व अप्रार्थी की आराजी के बीच आराजी नं0 139 में रास्ता स्थित है लेकिन अप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते की थोरों की बाड करके धीरे धीरे काफी सकडा कर दिया है तथा अब आराजी नं0 139 के दक्षिणी सिरे से थोहरो की बाड करके रास्ता बन्द कर दिया है जिसके कारण प्रार्थीगण अपनी आराजी पर नहीं जा पा रहे है तथा वर्तमान में भी प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर कोई फसल काश्त नहीं कर सके तथा भूमि पडत पडी है। उक्त आराजी पर आने जाने हेतु ओर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा आपसी समझाईश से अप्रार्थी को रास्ता निकालने के लिए भूमि देने हेतु कहा तो अप्रार्थी ने प्रार्थीगण का रास्ता बिल्कुल बन्द कर दिया जबकि काफी लम्बे समय से प्रार्थीगण अप्रार्थी की आराजी नं0 139, 854 पर बने रास्ते का उपयोग करते रहे हैं।

यह कि प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 31.08.2021 को रास्ता निकालने हेतु आपसी समझाईश से कहा लेकिन अप्रार्थी के द्वारा आपसी सहमति से रास्ता देने हेतु मना कर दिया इसलिए वाद हेतु दिनांक 31.08.2021 को जारी होकर के निरन्तर जारी है।

यह कि प्रार्थीगण की आराजी पर आने [illegible] खाली भरी बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु और कोई [illegible] प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने हेतु अप्रार्थी के द्वारा बन्द किए गए [illegible] को खुलवाया जाकर [illegible] तथा पुराना रास्ते को चौडा किये जाने का आदेश फरमाया [illegible]ना आवश्यक है तथा [illegible] समय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:10:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भी प्रार्थीगण की भूमि पडत पडी हुई है जिससे प्रार्थीगण को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

अन्त में प्रार्थना की कि– प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर के अप्रार्थी के खातेदारी के आराजी नं0 139, 854 में पूर्वी दिशा पर स्थित रास्ते को खुलवाया जाकर के कदिमानी पुराने रास्ते को चौडा कराया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 10.01.2024 को अप्रार्थी के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 18.07.2023 को कमिश्नर से मौका रिपोर्ट प्राप्त। जिसे शा0फा0 किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा मौखिक बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर रास्ता उपलब्ध कराया जावें।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी मौजा मौजा तुर्किया कलां की आ0न0 1634/861, 855, 860 पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है जो आ0 नं0 247 सरकारी रास्ता से होते हुए मौके पर बने रास्ते आ0 नं0 143 (रेकार्ड अनुसार खातेदारी) से आ0 नं0 139 के पूर्वी दिशा में मौके पर बने (दक्षिण से उत्तर) दिशा रास्ते से चाहा गया है। जिसमें वर्तमान में बेरोकटोक आवाजाही की जा रही है। वर्तमान में आ0 नं0 139 उदेराम पुत्र गेगा जाति भील के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम होकर लम्बाई × चौडाई 115 × 4 = 460 वर्ग मीटर है एवं इसमें कृषि भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं हो रहा है।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

   नहीं।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते बाबत पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

   समस्त पक्षकारान को तलब कर रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास किया। सहमति के प्रयास में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण में कोई सहमति नहीं बनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:10:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

निकटतम रास्ता प्रस्तावित। आ0नं0 139 की पूर्वी मेड से दक्षिण से उत्तर में लम्बाई × चौडाई, 115 × 4= 460 वर्ग मीटर बनता है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा तुर्किया कलां पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 1634/861 रकबा 0.05 हैक्ट0 तथा आराजी नं0 855 रकबा 0.55 हैक्ट0, तथा आराजी नम्बर 860 रकबा 0.70 हैक्ट0 पर आने जाने हेतु अप्रार्थी की इसी ग्राम की आराजी संख्या 139 से रास्ता चाह रहे है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा तुर्किया कलां की आ0 सं0 1634/861, 855, 860 पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क :– अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–'ख' कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप–खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप–खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

I. यह आवश्यकता आत्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और
II. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उस सुविधा पर उस भूमि में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।'

Signature Not Verified
Digitally Signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:10:03 IST
Reason: SelfAttested



सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## —:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा तुर्किया कलां पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 1634/861, 855, 860 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा तुर्कियाकलां की आ.न. 139 है। जिससे प्रस्तावित रकबा 115 × 4= 460 वर्ग मीटर है जिसका दिनांक 29.05.2023 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—क के अनुसार कुल रकबा 460 वर्गमीटर की डीएलसी दर 491164 × 0.0460 = 22594 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 45188/— रूपये अक्षरे पैंतालिस हजार एक सौ अठासी रूपये राशि जो कि अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के नाम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भितर—भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:10:03 IST
Reason: SelfAttested